

16/11/19

पत्रावली प्राप्त वहील जारी कर्तुं।  
 मूल पत्र का सिद्धाण होने के कारण  
 पत्र २२ राज. का. अधिनियम क्र. ३३ (१) -  
 होने के कारण पत्र पत्र इति लता पर  
 खारिज किम जाता है। पत्रावली निम्नलिखित  
 दायिल पत्रावली नाम से कर  
 हो।



(पवन कुमार)

 उपखण्ड अधिकांसी  
 अनुपखण्ड
